1108

ज्ञापांक 5421 /लेखा

106–01–05–2009

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18-12-14

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल एवं इकाईयों सहित),
सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस (अश्वरोही सैन्य पुलिस सहित),
प्राचार्य/समादेष्टा (नाथनगर/सिमुलतल्ला/डुमरॉव)।
बिहार।

प्रसंगः– पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक–4228/लेखा, दिनांक–26.09.12 एवं ज्ञापांक–2169/लेखा, दिनांक–15.03.11

विषयः– पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पुलिस मेन्स एसोसियेशन एवं बिहार पुलिस एसोसियेशन द्वारा जिलों/ईकाइयों में पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति पर ससमय कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंध में बार–बार पुलिस मुख्यालय का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक–2169/लेखा, दिनांक–15.03.2011 के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–1070 (14), दिनांक–20.05.2006 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया गया था कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों पर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), परिचारी प्रवर, पुलिस चिकित्सक एवं जिला/इकाई के दोनों पुलिस संघों के मानक प्रतिनिधि के साथ माह में एक बार नियमित बैठक कर मामलों का निष्पादन करें तथा कृत कार्रवाई की विवरणी प्रत्येक माह पुलिस मुख्यालय को आवश्य भेजें।

पुनः पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक–4228/लेखा, दिनांक–26.09.2012 के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–1070 (14), दिनांक–20.05.2006 तथा संकल्प संख्या–1182 (14), दिनांक– 02.06.2006 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया गया था कि इस समस्या के समाधान हेतु पुलिस सभा आयोजित कर अपने अधीनस्थों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के नियमों की जानकारी उपलब्ध करायें। साथ ही उन्हें यह संसूचित करने हेतु भी निदेशित किया गया था कि पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों के बीमार होने पर स्थानीय सरकारी चिकित्सालय, यथा–प्रखंड अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, जिला अस्पताल अथवा पुलिस अस्पताल में इलाज करायें। इलाजोपरांत सभी संबंधित परामर्श पुर्जा एवं दवा क्रय पुर्जा संलग्न करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रपत्र पर सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा कार्यालय में समर्पित करें। तदोपरांत

संबंधित पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–1182 (14), दिनांक–02.06.2006 की कंडिका–3 में वर्णित नियमों के आलोक में विपत्र **की जांच एवं प्रतिहस्ताक्षर हेतु जिले के सिविल सर्जन को भेजेंगे। उक्त प्रक्रिया के त्वरित** कार्यान्वयन हेतु सभी पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा अपने जिले के सर्जन से समन्वय स्थापित करते हुए आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर चिकित्सा प्रतिपूर्ति का नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों के अवकाश अवधि के दौरान बीमार हो जाने पर भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न जिलों/इकाईयों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध कराये जाने के बावजूद इसका बड़ा हिस्सा प्रत्यर्पण कर दिया जाता है, जो कि कदापि उचित नहीं है।

अतः उक्त प्रासंगिक पत्रों एवं सरकारी संकल्पों की छायाप्रति संलग्न करते हुए पुनः अनुरोध है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित आवेदनों पर ससमय नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा किया जाय ताकि पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों को सरकारी प्रावधानों के तहत ससमय चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सके।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित आवेदनों पर की गई कार्रवाई के अनुश्रवण हेतु सभी पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा अपने कार्यालय में एक पंजी का संधारण करें, जिसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों की क्रमवार प्रविष्टि से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर की गई/की जाने वाली कार्रवाई की तिथि वार प्रविष्टि की जाय।

अनुलग्नकः–

1. पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक–4228/लेखा, दिनांक–26.09.12 की छाया प्रति।
2. पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक–2169/लेखा, दिनांक–15.03.11 की छाया प्रति।
3. बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची की छाया प्रति।
4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–1070 (14), दिनांक–20.05.2006 की छाया प्रति।
5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–1182 (14), दिनांक–02.06.2006 की छाया प्रति।

18/12/14

पुलिस महानिरीक्षक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः–

1. सभी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ। अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी अपने अधीनस्थों को Sensitize करने तथा उनका मार्गदर्शन करने की कृपा की जाय।
2. IT Manager, पुलिस मुख्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ। अनुरोध है कि इस पत्र को ई–मेल के माध्यम से सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रेषित करें।

ज्ञापांक 4228 /लेखा

106–01–05–2009

पुलिस महानिदेषक कार्यालय, बिहार, पटना।

दिनांक - 26-9-12

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक बिहार।
सभी रेल पुलिस अधीक्षक बिहार।
सभी समादेष्टा बिहार।

पुलिस अधीक्षक (अ0) विषेष शाखा (सी0) अपराध अनुसंधान विभाग आर्थिक अपराध ईकाई वितंतु मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, निगरानी विद्युत कोषांग सहकारिता कोषंग बिहार, पटना।

प्रसंगः– पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक'5672/लेखा दिनांक–10.10.11 ज्ञापांक–2169/लेखा दिनांक–15.03.11 ज्ञापांक–4660/लेखा दिनांक–04.10.10 तथा ज्ञापांक–2355/वितंतु दिनांक–27.05.09

विषयः– **पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा पर हुए व्यय् की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।**

निदेषानुसार उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा बार–बार निर्देष दिये जाने के बाबजूद आपके अधिनस्त कार्यरत पुलिसकर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा पर हुए व्यय् की प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रहा है। जबकि इसके लिए राषि का पर्याप्त आवंटन उपलब्ध है। फिर भी इस संबंध में पीड़ित पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा पुलिस मुख्यालय में षिकायतें प्राप्त हो रहे है।

निदेष दिया जाता है कि बिहार सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग संकल्प सं0–1070 (14) दिनांक–22.05.06 एवं संकल्प सं0–1182(14) दिनांक–02.06.2006 में दियें गये निंदेष का पालन करते हुए अपने अधीनस्थ कर्मियो/पदाधिकारियों को आवष्यक निर्देष दें । ताकि उनके द्वारा चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति हो सके ।

प्रायः यह देखने में पाया जा रहा है कि जिला एवं अन्य प्रतिष्ठानों के पुलिसकर्मियों में उपरोक्त जानकारी के अभाव के कारण चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों पर आवेदन समर्पित नहीं किये जा रहे है। इस समाधान हेतु अविलंब पुलिस सभा कर उपरोक्त जानकारी मुहैय्या करायें तथा अधीनस्थ कार्यालय/थानों को वितंतु/फैक्स के द्वारा संसूचित कर यह भी निर्देश दें कि कर्मी (स्वयं एवं आश्रितों) के बीमार होने पर स्थानीय सरकारी चिकित्सालय, यथा– प्रखंड अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल रेफरल अस्पताल, जिला अस्पताल अथवा पुलिस अस्पताल में ईलाज करायें। ईलाजोपरांत सभी संबंधित परामर्श पूर्जा एवं दवाक्रय पूर्जा संलग्न करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रपत्र पर सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समर्पित करें । तदोपरांत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक बिहार सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग संकल्प सं0–1182(14) दिनांक–02.06.2006 के कंडिका–3 में वर्णित नियमों के आलोक में विपत्र की जॉच एवं प्रतिहस्ताक्षर हेतु जिले के सिविल सर्जन को भेजेगें । उक्त प्रक्रिया में त्वरित एवं तत्पराता हेतु कार्य के लिए सभी पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा अपने जिले के सिविल सर्जन से समन्वय स्थापित करते हुए आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर भुगतान करने का कार्य सुनिश्चित करायेगें ।

पुलिस सभा में पुलिस अधीक्षक यह भी कर्मियों को सलाह देगें कि अवकाश अवधि के दौरान बीमार हो जाने पर भी उपरोक्त प्रक्रिया को ही अपनावें ।

(अनुलग्नक :– उपरोक्त संकल्प की छाया प्रति)

26/9/12

(जे0 एस0 गंगवार)
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः– सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक वित्तीय वर्ष में माहवार अबतक प्रतिमाह कुल कितने कर्मियों को कितनी राशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की गयी है, का ब्योरा रखेगें तथा समय–समय पर आवश्यक मार्गदर्शन भी करेगें ।

ज्ञापांक 2169 /लेखा

106-1-5-2009

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना।

पटना, दिनांक 15 मार्च 2011

सेवा में,

सभी पुलिस अधीक्षक(रेलवे सहित) बिहार

सभी समादेष्टा(अश्वारोही सै0पु0सहित) बिहार

पुलिस अधीक्षक(अ), विशेष शाखा,(सी) अप0अनु0वि0,

मंत्री मंडल निगरानी विभाग/निगरानी विद्युत कोषांग/सहकारिता कोषांग/

वितंतु, बिहार पटना।

प्रसंग :- पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक 4660/लेखा दिनांक 4.10.2010, ज्ञापांक 2934 /लेखा,दिनांक 26.6.09 तथा ज्ञापांक 2355/वित्त दिनांक 27.5.09

विषय :- पुलिस कर्मी/पदाधिकारियों को चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।

----------000----------

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद अधिकांश जिले /ईकाई/कार्यालयों में पदस्थापित पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों को स्वयं /आश्रित पर हुये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है। जिसके लिये कल्याण कोष की बैठक में पुलिस मेंस एसोसियेशन /बिहार पुलिस एसोसियेशन के पदाधिकारियों द्वारा स्मार किया जाता है।

पुनः इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची एवं स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग का संकल्प सं0 1070(14) दिनांक 20.5.2006 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुये निर्दे दिया जाता है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों पर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), परिचारी प्रवर, पुलिस चिकित्सक एवं जिला /ईकाई के दोनों पुलिस संघों के मानक प्रतिनिधि के साथ माह में एक बार नियमित बैठक कर मामलों का निष्पादन करें तथा कृत कार्रवाई का विवरणी प्रत्येक माह पुलिस मुख्यालय को अवश्य भेजें।

कृप्या इसे अति आवश्यक समझा जाये।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

15/3/2011

पुलिस उप-महानिरीक्षक(प्रशासन),

बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :-

1. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची

PATNA

No.	Hospitals	Services
1.	Chikitsa Nursing Home Mithapur, Patna	Maternity Services.
2.	Sahyog Hospital 40, Patliputra Colony, Patna	General purpose treatment in Medicines, General Surgery and Obst.& Gynae
3.	Tara Hospital & Medical Research Center, BP Koirala Marg. (Bank Road), Patna	General purpose treatment & Specialisted treatment in Cardio Thoracie Surgery, Nephrology & Urology)
4.	Shahi Hospital Road No.2B Rajender Nagar Patna.	Urology including lithotripsy
5.	Dr. Ruben Memorial Hospital Ratan Stone Clinic, Minar Plaza South East Gandhi Maidan, Patna.	All Urological surgery including lithotripsy, Dialysis and Laproscopic surgery
6.	Drishti Eye Care & Research Center B/22, Patrakar Nagar Kankar Bagh, Patna.	All Eye procedures except laser
7.	Jeevak Heart Hospital & Research Instt. Pvt. Ltd. 6 Doctors Colony Kanker Bagh, Patna.	Cardiac Surgical work.
8.	Mahavir Cancer Sansthan Phulwari Sharif, Patna	Cancer Treatment (Radiotherapy & Chemotherapy), Mammography, CT Scan, Ultrasound, Radiology, Pathology & Bio Chemistry.
9.	Ram Ratan Hospital Rampur Road, Near Bazar Samiti, Patna	Orthopaedic, Dermatology, Obst.& Gynac. Plastic Surgery, Dental, Pathology, Radiology, Medicine and Physiotherapy.
10.	Palm View Hospital Nandanpuri, Patna.	Urological services & Laproscopic surgical Procedures.
11.	L.S. Institute of ENT (P) Ltd. Nema Place, Exhibition Road Patna.	ENT TREATMENT & surgical procedures.
12.	Anupama Hospital Pvt. Ltd. Khazanchi Road, Patna.	General Surgery & Laproscopy
13.	Hai Medicare & Research Instt. Bailey Road, Raja Bazar, Patna.	General Surgey and Pathological & Radiological procedures.
14.	Heart Hospital Pvt. Ltd. Chandralay, Kankar Bagh Patna.	Specialized treatment in cardiology except Cardiac Surgery.

PATNA

15.	Avadh Eye Hospital A-39 PC Colony,Kankarbagh,patna	Ophthalmological treatment
16.	Siddiqui Nursing Home & Medical Research Center,Pvt. Ltd.Opp B.N.College,Gola Road, Bakerganj,Patna.	General surgery.
17.	Shalya Niketan Jagat Narayan Road,Kadam Kuan,Patna	Urological investigations & treatment
18.	Arvind Diabetic Critical Care Hospital & Gynaecological & Matermity Center, Ashok Raj Path,Patna	Diabetic Care.

PATNA

Diagnostice Centers

1.	Golghar Chikitsa Kendra Golghar,Patna	Cardiac Investigations.
2.	Nalanda Hospital & Scan Research Center Pvt.Ltd. O/63 Doctor's Colony Kankar Bagh,Patna	X-Ray,MRI,CTScan & Ultrasound
3.	Surabhi Imaging Center Opp. Sales Tax Office,Guzri,Patna	Ultrasonography
4.	R.K. Lab. Garhatta More, Patna City.	Haemotoligy & Bio chemistry
5.	Panchlok Diagnostice Centre Opp.Tara Mandal,Bailey Road Patna.	Haemotology,Bio-chemistry PFT and Physiotherapy
6.	Shankar Diagnostic, Makhania Kuan Road,Patna	Pathology & Bio-chemistry (Haemotology & Bio-chemistry
7.	Patho Biochem Institute,Tulsi Apartment,Govind Mitra Road, Patna.	Haemotology & Bio-chemical tests.
8.	Central Diagnostics,shanti Priya Apptts.,Boring Road, Patna.	Pathology,Micro-biology,Bio-chemistry and Harmonal Essay.
9.	Balaji Cardiac Diagnostic Center Opp.Laxmi Complex Boring Road,Patna	Cardiac Investigations only.
10.	Maurya Laboratories Pvt.Ltd. Rajendra Nagar,Road No.3	All Pathological,Biological,Micro Biology.and Histopathology Investigations.
11.	Biolab & Pawan Ultrasound Khazanchi Road,Near Mahabir Asthan,Patna	Pathology,Bio-chemistry & Micro Biology
12.	Patna Scan Center Deepraj Complex Arya Kumar Road,Patna.	Ultrasound only.
13.	Harsh Advanced Diagnostic & Research Center, Basement Kumar Tower,Boring Canal Road,Patna.	Pathology,Bio-chemistry & Ultrasound

26/5

178

14.	Arvind Diagnostic Lab & Ultrasound Center, Ashok Rajpath, Patna.	Pathological & Biological Investigations & Altrasound
15.	Getwell Hospital, Raja Bazar Bailey Road, Patna	Haemotology, Bio-chemistry, Ultrasound & X-Ray.
16.	Alok Medical Centre, H.N. 47, Road No.20 Sri Krishna Nagar, Patna	Therapcutic and Diagnostic, Upper G.I. Endoscopy & Therapcutic ERCP Lower G.I. Endoscopy only.

ज्ञापांक 2355/वित्त

50-1-4-2009

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 27 मई, 09

प्रतिलिपि :- सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी प्रक्षेत्रीय अपर पुलिस महानिदेशक/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित)/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक (सैन्य पुलिस एवं रेल सहित) सभी पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)/सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस (अश्वारोही सैन्य पुलिस सहित)/निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना/मुजफ्फरपुर/प्रदेश अध्यक्ष, बिहार पुलिस मेन्स एसोसियेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशासन),
बिहार, पटना ।

2615

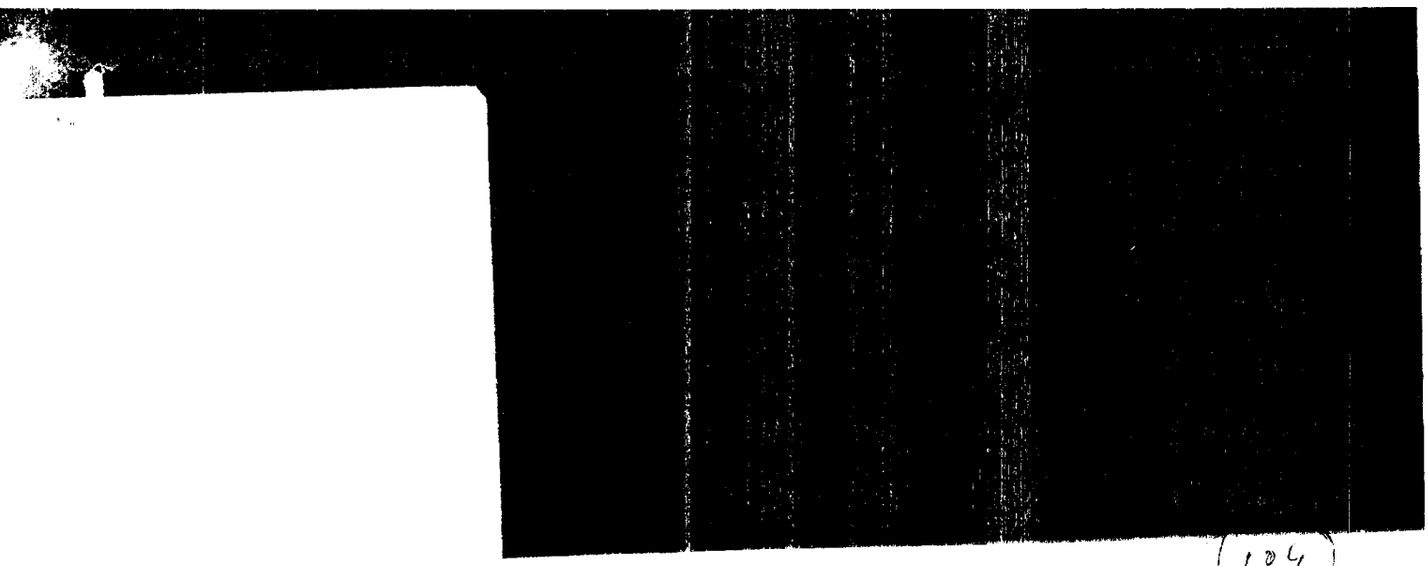

विषय : बिहार सरकार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत अन्तिम रूप से आवंटित उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य के कर्मियों के पारस्परिक स्थानान्तरण के संबंध में ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक् गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या स्टे०/झा०/वि०-30/2004-3479, दिनांक 21-5-2005 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ लिया जाय जिसके द्वारा अन्तिम रूप से आवंटित राज्यकर्मियों के पारस्परिक रूप में राज्य स्थानान्तरण के लिए कुल छः बन्धेज/शर्तों को निधारित किया गया था तथा जिसमें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2092, दिनांक 1-7-2005 के द्वारा झारखण्ड सरकार की सहमति व्यक्त की गयी थी ।

2. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पारस्परिक स्थानान्तरण के मामले में यह मानते हुए कि संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा सभी शर्तों की जाँच कर ही सहमति दी गयी होगी, राज्य स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी परन्तु उधर जाँच के क्रम में पाया गया कि बहुत से राज्यकर्मी शर्त संख्या 4 एवं 5 को पूरा किये बिना राज्य स्थानान्तरण का अनुरोध करते हैं तथा प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के संदर्भ में जाँच पत्र संलग्न किये बिना [illegible] अनुशंसा दे दी जाती है । जाँच के क्रम में ऐसे मामले को जब रोका गया तो कुछ कर्मियों ने न्यायालय की शरण ली है तथा कुछ ने अभ्यावेदन समर्पित किये हैं कि बदली हुई परिस्थिति में तथा झारखण्ड राज्य आवासित हो जाने के चलते अब वे राज्य स्थानान्तरण चाहते हैं ।

3. उपर्युक्त तथ्यों पर राज्य पुनर्गठन उच्च स्तरीय समिति की बैठक में [illegible] की गयी अनुशंसा पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अन्तिम रूप से आवंटित जो राज्यकर्मी शर्त संख्या 4 एवं 5 को छोड़कर ऊपर के अन्य तीन शर्तों को पूरा करते हैं तथा शर्त संख्या 6 के अनुसार वे अथवा उनका परिवार किसी बिमारी से ग्रसित है अथवा कोई अन्य आकस्मिक कारण [illegible] हैं जिससे उनका दूसरे राज्य में स्थानान्तरण आवश्यक हो गया है तो राज्य स्थानान्तरण पर विचार किये जाने के समय शर्त संख्या 4 एवं 5 को शिथिल किया जा सकता है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका 3 में लिए गये निर्णय के [illegible] में संबंधित राज्यकर्मियों के पारस्परिक स्थानान्तरण के संदर्भ में स्पष्ट सूचना एवं [illegible] अभ्यावेदन इस विभाग को भेजने हेतु अपने अधीनस्थ प्रशासी विभाग एवं संलग्न [illegible] को निदेश देने की कृपा की जाय ।

44

[बिहार सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संकल्प सं० 14 विविध-04/2006-1070 (14), दिनांक 20-5-2006 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों की चिकित्सा की स्वीकृति एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्त्ति का शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र सं० 24 [illegible] दिनांक 11-12-1999 द्वारा राज्य सरकार के सेवकों का [illegible] चिकित्सा में हुए व्यय 5,000 रु० तक की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए [illegible] नियन्त्रण पदाधिकारी प्राधिकृत हैं । 5,000 रु० से अधिक की प्रतिपूर्ति [illegible] स्वीकृति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्त विभाग की [illegible] व्यवस्था में राज्य कर्मियों को प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने में प्रक्रिया [illegible] करना पड़ता है और उन्हें आर्थिक कठिनाई भी होती है

(vi) प्रतिपूर्त्ति से संबंधित स्वीकृत्यादेश प्रतिपूर्त्ति के लिए सक्षम पदाधिकारी (नियन्त्रण पदाधिकारी/विभागीय सचिव) के कार्यालय/विभाग से निर्गत किया जायेगा। अग्रिम से संबंधित स्वीकृत्यादेश संबंधित विभाग से निर्गत किया जायेगा।

(vii) चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति/अग्रिम में होने वाले व्यय का वहन आय-व्ययक के उसी शीर्ष से होगा जिससे संबंधित सरकारी सेवक अपना वेतन आदि प्राप्त करते हैं। संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत प्राथमिक इकाई 01-47 चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति से विकलनीय होगा। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वेतन इकाई से प्राप्त आवंटन में से चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति/अग्रिम की राशि उल्लिखित प्राथमिक इकाई में स्थानान्तरित कर प्रतिपूर्त्ति/अग्रिम विपत्र की निकासी करेंगे। वेतन मद में कुल आवंटित राशि एवं प्रतिपूर्त्ति इकाई में स्थानान्तरित राशि उपबंधित राशि से अधिक नहीं होगी।

(viii) अग्रिम राशि का सामंजन निकासी के अधिकतम छ: माह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व के अग्रिम का सामंजन नहीं होने पर द्वितीय अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में अग्रिम सामंजित नहीं होने पर संबंधित सरकारी सेवक को असामंजित अग्रिम की राशि को एक मुश्त जमा करना होगा। अग्रिम की निकासी से एक माह के भीतर चिकित्सा प्रारम्भ नहीं होने पर अथवा चिकित्सा हेतु प्रस्थान नहीं करने पर अग्रिम की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं नियंत्रण पदाधिकारी का होगा।

(ix) उपरोक्त प्रक्रिया में साधारण परिवर्त्तन विभाग द्वारा भविष्य में वित्त विभाग के सहमति से किया जा सकेगा।

45

[बिहार सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संकल्प सं० 14/विविध-04/2006-1182 (14), दिनांक 2-6-2006 की प्रतिलिपि।]

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्त्ति के संबंध में मार्गदर्शन।

राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्त्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से राज्य के अन्दर और बाहर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कराई गयी अन्तर्वासी और कतिपय चिह्नित रोगों में बहिर्वासी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्त्ति की शक्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प सं० 1070, दिनांक 20-5-2006 द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के नियन्त्रण पदाधिकारी और विभागीय सचिव को प्रत्यायोजित की गई है। इसलिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्त्ति के मामले में एकरूपता बनाये रखने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक है—

1. अन्तर्वासी चिकित्सा (In Door)—बिहार उपचार नियमावली, 194[illegible] के प्रावधानों और स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र ज्ञाप संख्या 6/1-53[illegible]-73-1443 (6) स्वा०, दिनांक 10-6-1975 द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों जैसे माता-पिता/पति-पत्नी/पुत्र-पुत्री को सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कराई गई अन्तर्वासी (In Door) चिकित्सा के दौरान उन औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्त्ति जिसकी आपूर्त्ति सरकारी अस्पताल भण्डार से नहीं की जाती है, अनुमान्य है स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या 482 (14) दिनांक 24-3-2006 द्वारा बिहार उपचार नियमावली के नियम 1 में टिप्पणी 13 जोड़कर सी०जी०एच०एस० द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों को भी सी०जी०एच०एस० द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान की शर्त पर अन्तर्वासी

2. इसी प्रकार राज्य से बाहर राज्यकर्मियों की चिकित्सा हेतु बिहार उपचार नियमावली [illegible] नियम 26 के द्वारा सरकार को प्राप्त विशेषाधिकार का उपयोग कर प्राधिकृत चिकित्सा एवं [illegible] चिकित्सा पर्षद की अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से सरकारी अस्पतालों में या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों (टाटा मेमोरियल अस्पताल, [illegible] [illegible] रोग के लिए एवं सी०एम०सी०, भेलोर, गुर्दा रोग के लिए) में चिकित्सा कराने की स्वीकृति [illegible] जाती है। चिकित्सोपरान्त सरकारी कर्मियों के नियन्त्रण पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिपूर्ति [illegible] प्राप्त होने पर जाँचोपरान्त अनुमान्य राशि की प्रतिपूर्ति का राज्यादेश वित्त विभाग [illegible] प्राप्त कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है। उक्त प्रक्रिया में भी अन्य [illegible] लग जाता है तथा राशि के अभाव में कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा [illegible] प्रभावित होता है।

3. उपरोक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि—

(i) राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कराये गये अन्तर्वासी चिकित्सा और निर्धारित रोगों के संबंध में बहिर्वासी चिकित्सा पर 20,000 रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित सरकारी सेवक के नियन्त्रण पदाधिकारी का होगा।

(ii) राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में करायी गयी अन्तर्वासी चिकित्सा और निर्धारित रोगों के संबंध में बहिर्वासी चिकित्सा पर 20,001 रुपये से 2,00,000 रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित सरकारी सेवक के विभागीय सचिव को होगा। विभागीय सचिव आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी स्वीकृति देंगे। दो लाख से ऊपर के प्रस्ताव से संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लिया जायेगा।

(iii) राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी तथा निर्धारित रोगों के संबंध में बहिर्वासी चिकित्सा पर दो लाख तक के व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित विभागीय सचिव को होगा। विभागीय सचिव आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति देंगे। दो लाख से ऊपर के प्रस्ताव पर संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति दी जायगी।

(iv) राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में [illegible] महाविद्यालय अस्पताल/इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के निदेशक की अनुशंसा पर संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी अनुमति प्रदान करेंगे। इसके पश्चात प्रत्येक चेक-अप के [illegible] संबंधित सरकारी सेवक के विभागीय सचिव को संबंधित बाहरी संस्थान के संबंधित चिकित्सक की अनुशंसा पर अनुमति प्रदान करेंगे।

(v) राज्य के बाहर अथवा सरकारी अस्पतालों/राज्य सरकार द्वारा अन्य मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी चिकित्सा [illegible] संबंधित संस्थान के प्राक्कलन के आधार पर [illegible] प्रतिशत तक की राशि, अधिकतम [illegible] तक चिकित्सा अग्रिम आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से विभाग के सचिव द्वारा [illegible] किया जायेगा। दो लाख से अधिक चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति वित्त विभाग की [illegible] के पश्चात् विभागीय सचिव द्वारा दी जायेगी।

चिकित्सा हेतु मान्यता दी गई है । सी०जी०एच०एस० द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतलों की सूची ई-मेल सं० http:\\moh..w.nic.in द्वारा डाउन लोड कर प्राप्त किया जा सकेगा ।

2. **बहिर्वासी (Out Door)**—चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 5257 (24), दिनांक 8-12-1994, 666 (6), दिनांक 16-5-1980 और संकल्प संख्या 1356 (24), दिनांक 2-5-2000 (संकल्प की प्रति संलग्न; के द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारी/कर्मचारी एवं उनके आश्रित सदस्यों को निम्नांकित विशेष रोगों में बहिर्वासी चिकित्सा (Out Door) पर हुए व्यय (संबंधित चिकित्सीय संस्थान में होनेवाली बहिर्वासी चिकित्सा के क्रम में क्रय की जानेवाली औषधियों एवं जाँच पर होनेवाले व्यय) की प्रतिपूर्त्ति भी अनुमान्य है—

(a) यक्षमा (T.B.), (b) कैंसर (Cancer) (c) कुष्ठ (Leprosy)

(d) हृदय की शल्य-क्रिया के बाद चिकित्सा पर हुए व्यय ।

(e) गुर्दा (Kidney) प्रत्यारोपन के बाद की चिकित्सा पर हुए व्यय ।

(f) लीभर प्रत्यारोपन के बाद चिकित्सा पर हुए व्यय । पर हृदय की शल्य चिकित्सा एवं गुर्दा प्रत्यारोपन के पूर्व हुई बहिर्वासी चिकित्सा के मामले में सिर्फ यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ण नियमानुसार अनुमान्य है, जाँच एवं दवा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्त्ति नहीं । लीभर प्रत्यारोपन के मामले में भी विदेश में जाँच या चिकित्सा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्त्ति किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं है ।

3. **विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच की प्रक्रिया**—विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी—

(i) राज्य के भीतर कराई गई चिकित्सा से संबंधित 20,000 (बीस हजार रुपये) मात्र तक के दावे सरकारी सेवक द्वारा उसी जिले के सिविल सर्जन को प्रस्तुत किया जायेगा जिसे जिले में सरकारी सेवक पदस्थापित/कार्यरत हैं । सिविल सर्जन द्वारा विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच की जायेगी और विपत्र पर अनुमान्य राशि प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए उसे संबंधित सरकारी सेवक के नियन्त्रण पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा ।

(ii) राज्य के अन्दर कराई गई चिकित्सा से संबंधित 20,000 रुपये से ऊपर के दावे की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना के संयोजकत्व में गठित एक त्रिसदस्यीय समिति द्वारा की जायेगी । उक्त समिति में पी०एम०सी०एच०, पटना के औषध एवं शल्य-क्रिया विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में रहेंगे । अधीक्षक, पी०एम०सी०एच० आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभागाध्यक्ष को इस समिति में विशेष आमन्त्रित के रूप में बुला सकेंगे । त्रिसदस्यीय समिति की बैठक सप्ताह में दो बार आहुत की जायेगी । विपत्र जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षर कर संबंधित सरकारी सेवक के प्रशासी विभाग को वापस लौटाया जायेगा ।

(iii) राज्य के बाहर कराई चिकित्सा व्यय से संबंधित सभी दावों को भी सरकारी सेवक के प्रशासी विभाग अधीक्षक पी०एम०सी०एच०, पटना को विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच के लिए भेजेगा, जो उपरोक्त प्रक्रिया (II) अनुसार जाँच कराने के पश्चात् विपत्र संबंधित विभाग को वापस लौटायेंगे ।

4. **दावों की प्रतिपूर्त्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया**—दावों की प्रतिपूर्त्ति की स्वीकृति के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी—

(i) दावा प्रतिपूर्त्ति के साथ प्रतिपूर्त्ति प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना आवश्यक है ।

(ii) क्रय किये गये औषधियों से संबंधित अभिश्रव/विपत्र संबंधित संस्थान के चिकित्सक के द्वारा मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित रहने चाहिए ।

(iii) प्रतिपूर्त्ति प्रमाण-पत्र अस्पताल/संस्थान के अधीक्षक/निदेशक द्वारा भी मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक है ।

(iv) क्रय की गयी औषधियों से संबंधित कैशमेमो/दवा से संबंधित अस्पताल का पुर्जा की छाया प्रतियाँ एवं अस्पताल में अन्तर्वासी रोगी का डिस्चार्ज समरी मूल रूप में प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।

(v) स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र सं० 2059 (24), दिनांक 27-5-1997 (प्रतिलिपि संलग्न) के आलोक में हृदय रोग के मामले में पेस मेकर लगाये जाने पर पेस मेकर मद में अधिकतम 38,000 (अड़तीस हजार रुपये) की प्रतिपूर्त्ति अनुमान्य है ।

(vi) स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 3800 (14), दिनांक 10-12-2003 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा नेत्र रोग के मामले में लेंस इम्प्लान्टेशन के लिए अधिकतम 5,000 (पाँच हजार रुपये) लेंस एवं चिकित्सा दोनों पर होने वाले व्यय की अधिकतम, सीमा 10,000 (दस हजार रुपये) प्रतिपूर्त्ति हेतु निर्धारित है ।

(vii) विटामिन शक्तिवर्धक औषधियों एवं खाद्य पदार्थों मदों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्त्ति अनुमान्य नहीं की जायेगी । डिसपोजेबुल मदों की प्रतिपूर्त्ति भी अनुमान्य नहीं है ।

5. **यात्रा भत्ता**—वित्त विभाग के परिपत्र ज्ञापांक AI-116/59/2840-एफ०, दिनांक 16-2-1959 (प्रतिलिपि संलग्न) और बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 130 के नीचे राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार चिकित्सा के प्रयोजनार्थ वायुयान एवं वातानुकूलित रेल यात्रा अनुमान्य नहीं है ।

6. **स्वीकृति चिकित्सा अग्रिम के मॉनिटरिंग की व्यवस्था**—संबंधित चिकित्सा संस्थान से प्राप्त प्राक्कलन (Estimate) के आधार पर प्राक्कलित राशि का 80 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपये तक चिकित्सा अग्रिम सक्षम पदाधिकारी) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से विभागीय सचिव) द्वारा स्वीकृत किया जाना है । किन्तु स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम को निर्धारित समय-सीमा (अधिकतम 6 माह) के भीतर समायोजन सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अग्रिम के मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रशासी विभाग और नियन्त्रण पदाधिकारी दोनों स्तरों पर की जायेगी ।

7. शीर्ष चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति/चिकित्सा अग्रिम में होनेवाले व्यय का वहन आय-व्यय के उसी शीर्ष के अन्तर्गत प्राथमिक इकाई "0147—चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति" से होगा जिससे संबंधित सरकारी सेवक अपने वेतन-भत्ते की निकासी करते हैं ।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

46

बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2006

[मानव संसाधन विकास विभाग, अधिसूचना संख्या 12/01-06/94 अंश-शि०-1410, दिनांक 5-8-2006 की प्रतिलिपि ।]

चूँकि विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित न्यायादेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली, 2002 अकार्यकारी निदेशित किया है, और चूँकि राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों